श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं ने एक मोशन दिया है। मैं नहीं जानता कि किन कारणों से आप ने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। यह मामला ऐसा है जिस पर आप कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जरा सब्र तो कीजिये।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : फिर मैं ने दूसरा मोशन दिया हुआ है कि देश की साम्प्रदायिक स्थिति पर विचार होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास आये, मैं देखूंगा इस को अभी क्यों कमिट करवाते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के पास भेज चुका हूं।

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST A POLICE OFFICER

श्री जनेश्वर मिश्र (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को करीब साढ़े नौ बजे सुबह मैं अपने घर पर बैठा था कि इनकी क्राइम ब्रांच के एक सब-इंस्पैक्टर बिना घंटी बजाये मेरे घर में घुसे और उन्होंने 6 अप्रैल को जो पटेल चौक में घटना हुई थी उसके बारे में इनक्वायरी चाही। मैं ने उनसे कहा कि आप को यहां आने की हिम्मत कैसे पड़ी ? उन्होंने कहा कि उन के कोई अफ़सर हैं, श्री अवतार सिंह, उन्होंने उन्हें आदेश दिया है कि सब लोगों के यहां जायें। हम को रिपोर्ट मिली, और वह पटेल साहब के घर पर भी गये थे इनक्वायरी करने के लिये। ऐसे ही हमारी पार्टी के जितने मेम्बर हैं सब के घर पर जाते हैं।

अब यहां पर तीन सवाल उठते हैं। एक तो हम लोक सभा के सदस्य हैं। हम नहीं चाहते कि हम को कोई विशेपाधिकार हो।

13 Hrs.

लेकिन खास तौर से जब हम सेशन के लिए पार्लियामेन्ट हाउस आते हैं तो उसके डेढ़ घंटे पहले हम को इतनी फ़ुरसत होनी चाहिए कि हम आजादी से अपनी बात सोच सकें, अपने ढंग से काम कर सकें। ठीक साढ़े नौ बजे चव्हाण साहब का पुलिस का अफ़सर हम लोगों को रोकने के लिए जाय। उस दिन हमें काम था और कम्बोडिया के सवाल पर जो हम कौलिंग अटेंशन नोटिस भेज रहे थे वह बिगड़ सकता था और लोक सभा का हमारा तमाम काम रुक ही जाता। अब लोक सभा का सदस्य होने के नाते मैं चव्हाण साहब से इतना चाहूंगा कि वह अपने पुलिस के अधिकारियों को आदेश दें कि वह इस तरह से संसद् सदस्यों के पालियामेन्टरी काम करने के हक को मत छीनें। उन को यह आदेश दें कि पुलिस के अधिकारी संसद् सदस्यों के उनके पालियामेन्टरी काम करने में बाधा न डालें।

नम्बर 2 यह कि इस सदन में उन चव्हाण साहब से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया था कि उस कांड के बारे में जुडिशिएल इनक्वायरी बैठायी जायगी। वह इनक्वायरी अभी काम नहीं कर रही है और लोगों के घाव सूख रहे हैं। अब इस सदन में एक घोषणा होती है कि कोई हाई कोर्ट का जज उस काम को देखेगा और चव्हाण साहब की क्राइम ब्रांच का कोई इंस्पेक्टर या सब-इंस्पेक्टर सदस्यों के घरों पर जाकर धमकी देता है, कई जगहों पर धमकी दी है। इस तरह की रिपोर्ट हम को मिली है उन्होंने जाकर कहा है कि सोशलिस्ट पार्टी के मेम्बर क्यों हो ? क्या मधु लिमये या राज नारायण तुम्हें पैसा देते हैं ? गांवों के लोगों को धमकी दी। बिहारी लाल के घर जाकर धमकाया लड़के को कि अपने बाप को तुम पहचानना नहीं। हम लोगों को पता लगा कि यह सारी शिकायतें हैं। उस के साथ एक नई घटना और आ जाती है जिसका कि मैं जिक्र करूंगा कि 6 अप्रैल को मैं पटेल चौक के पास होकर गया था। उसी शुक्रवार को जिस दिन चव्हाण साहब की पुलिस मेरे कमरे में आती है इनक्वायरी करने के लिए, उसी शुक्रवार को जगतगुरु शंकराचार्य संसद्

भवन के गेट तक आते हैं सत्याग्रह करते हुए तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या चव्हाण साहब का प्रतिबन्ध या आदेश उस दिन काम नहीं कर रहा था जबकि शंकराचार्य यहां संसद् भवन के गेट तक सत्याग्रह करते आये ··· (**व्यवधान**) ····

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस को लम्बा चौड़ा मत करें।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं आप का आदेश मानते हुए अभी बैठा जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक सब-इंस्पेक्टर आप के पास पार्लियामेन्ट के वक्त से पहले आ कर मिला और उस बात पर आप की यह चीज़ आई है। जो आप को इस सिलसिले में कहना था वह आपने कह दिया है। मैं ने कहा है कि उस बारे में मैं देख रहा हूं। मैं ने होम मिनिस्टर को उसके बारे में पूछा है और उनका जवाब आने पर मैं आप को बतला दूंगा। अब इसको आप और लम्बा मत करिये और शंकराचार्य को इस बारे में यहां मत लाइये।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा का पालन करते हुए बैठ गया था। मुझे आशा है कि मैं जो निवेदन या प्रार्थना करूंगा उस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे।

जैसा मैंने पहले कहा वह पुलिस अधिकारी सुबह 6 अप्रैल के सिलसिले में मेरे घर आ गया। 6 अप्रैल को पटेल चौक पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था और उस से आगे इधर को देश की जनता आ नहीं सकती है लेकिन अब कोई आदमी इस तरीक़े से एक जलूस बना कर यह क़ानून तोड़ने के लिए आता है तो मालूम देता है कि इन दोनों का रिश्ता कहीं न कहीं है इसलिए गम्भीरता से जो मैं ने सवाल उठाया है उस पर अध्यक्ष महोदय को विचार करना चाहिए।

MR. SPEAKER : I am concerned with Members of the House. I have asked him to send the full information.

श्री जनेश्वर मिश्र : बहरहाल, अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतनी प्रार्थना अवश्य करूंगा कि नियम 222 के अन्तर्गत इस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और····

अध्यक्ष महोदय : मुझ को अगर पता होता कि माननीय सदस्य इस तरह से इसमें और और बातें जोड़ते जायेंगे तो मैं दस दफ़े सोचता कि उन्हें मैं हाउस में इसे रखने की इजाज़त दूं या नहीं।

माननीय सदस्य ने प्रीविलैज का जो मामला उठाया है तो मेरा कहना यह है कि : regarding visit of the police officer, I am sending it to the Home Minister. When the statement comes the matter will come before the House.

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, नियम 222 के अन्तर्गत मैं पुलिस के दोनों अफसरों के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं और चाहता हूं कि आप इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दें। यह सदस्यों के अधिकारों का सवाल है और इस तरह से ······

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं ने होम मिनिस्टर को इसे भेजा हुआ है और उन का जवाब आने पर मैं इसे देखूंगा।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में मैं आप के नोटिस में एक चीज़ लाना चाहता हूं। एक इत्तिला मुझे मिली है और श्री जनेश्वर मिश्र को भी मिली है। गृह मंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी है। कोई एक चौधरी है, अब इस सदन में और संसद् भवन में तो आप का साम्राज्य है और यहां पर आप का वाच एंड वार्ड है। कोई पुलिस के अधिकारी चौधरी हैं जो यहां रहते हैं और जिसने 6 अप्रैल को आकर वहां लोगों को पहचानने का कार्य किया है। यहां चौधरी है और इस तरीक़े से कड़ी उसके साथ जुड़ी हुई है···

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा ।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : The hon. Member has raised the question whether in view of the judicial inquiry that has been ordered, any investigation can take place or not. My information about this is that an officer did go to the hon. Member's house. But he merely went there in the course of his duties, as he was ordered to make investigation to get some information. If the hon. Member had refused to give him information, he could not have forced the hon. Member to give that.

श्री जनेश्वर मिश्र : मेरी ख़ास शिकायत यह है कि अगर मान लीजिये कि चव्हाण साहब का कमरा खुला हो और मैं उनके कमरे में बगैर पूछे एक दम से घुस जाऊं तो मेरा इस तरह से प्रवेश करना उन को कैसा लगेगा ?

SHRI Y. B. CHAVAN : When the police officer went to meet him, how could he meet the Hon'ble Member outside? If the hon. Member had asked him to get out, then he would have gone away. How could he stay there in that case ?

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है अपितु प्रश्न तो यह है कि आप का दरवाजा खुला हो और कोई पुलिस अधिकारी जांच करना चाहे तो वह बिना इजाजत के या घंटी बजाये आप के कमरे में घुस आये तो क्या यह उस का कार्य उचित कहा जायगा ? क्या साधारण शिष्टाचार भी इन पुलिस अधिकारियों को नहीं सिखाया जाता है ?

SHRI Y. B. CHAVAN : I do not know about these things. If there is any complaint about any threat etc. I am prepared to look into the matter. If there is any complaint about any threat not only to a Member of Parliament but even to any other citizen of India, I am prepared to look into it. But now the question has been reduced to this namely whether the field of privilege of a Member of the House can extend to that position where normal investigation also can not be undertaken (*Interruptions*). If hon. Members want me to take that position then I do not want to stand in their way. (*Interruptions*)

SHRI J. H. PATEL (Shimoga); I have got one particular question to ask.

MR. SPEAKER : I am not going to allow any more questions now.

SHRI J. H. PATEL : It is not about the privilege question. The police officer had come to my house also. So, I would like to seek one clarification from the hon. Minister.

MR. SPEAKER : I had allowed only that Member. No other questions arise now.

SHRI J. H. PATEL : The poice had come to my house also. That is why I want to ask one specific question about it.

MR. SPEAKER : I would request the hon. Member to sit down. Now, Papers to be laid on the Table.

SHRI J. H. PATEL : Am I not to be protected

MR. SPEAKER : I am not allowing any further questions now.

SHRI J. H. PATEL : On a point of order......

SHRI Y. B. CHAVAN : The hon. Member can come to my room and ask of me even ten questions. I am prepared to answer them.

SHRI J. H. PATEL : The question is this. In view of the pending judicial inquiry......

MR. SPEAKER : I have not allowed the hon. Member. If he goes on persistently then I am very sorry that I shall have to go to the extreme. I have not allowed him.

SHRI J. H. PATEL : I do not shout. I always obey you. I have only one question to ask........

MR. SPEAKER : I am not allowing him. Now, Papers to be laid on the Table.